राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 217/2025 प्रा0पत्र

अनवान

महेश चन्द्र पिता धन्नालाल जाति सालवी आयु बालिग निवासी पाटिया भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थी

बनाम

01. मंजू देवी पत्नि हुकम सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी बामनहेड़ा तहसील टॉडगढ़ जिला ब्यावर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी
02. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः— दिनांक 19/2/2026

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या 324 खसरा नम्बर 12081 मीन रकबा 0.1052 किस्म चाही1जाव1 हैं। उक्त वर्णित भूमि के पास में लगती हुई अप्रार्थीया संख्या 01 की भूमि के आराजी नम्बर 12082 में पास लगता हुआ आम रास्ता आया हुआ है जिससे प्रार्थी आराजी नम्बर 12082 में से होकर अपनी उक्त भूमि पर आना जाना करता है तथा काफी पुराना एवं बाप दादाओं के समय 15 फीट रास्ता का उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि उक्त रास्ते होकर अपनी भूमि में हकाई—बुवाई के लिए उक्त रास्ता से ट्रेक्टर होकर हमारी उक्त वर्णित भूमि में बुवाई के लिए आते जाते रहते है जिससे हमारी उक्त वर्णित भूमि की बुवाई कर उन्नत एवं विकसित की जा रही है। यह कि उक्त प्रार्थी के पुराने गुजरने वाले रास्ते उक्त आराजी नम्बर 12082 में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है व प्रार्थी एवं अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा उक्त रास्ते का उसके पूर्वजों एवं प्रार्थी द्वारा उपयोग—उपभोग करने से सूखाधिकार के रूप में करते आ रहा है। यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीया संख्या 01 की खातेदारी में आने जाने वाला पुराना रास्ता जिससे अपने मवेशी, हकवाई हकत हेतु ट्रेक्टर, घास—फूस लाने ले जाने के लिए रास्ते को उक्त आराजी नम्बर 12082 में से रास्ते का उपयोग—उपभोग करते आ रहा है उक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीया संख्या 01 के पुराने गुजरने वाले रास्ते को उक्त आम रास्ता आया हुआ है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजसमन्द)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में वर्णित रास्ता जो प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने का रास्ता होकर आराजी नम्बर 12082 में से निकला हुआ रास्ता है उक्त रास्ते में अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा अवरोध कर देने से प्रार्थी अपने उक्त खेतों में फसल काश्त करना मुश्किल हो गया हैं प्रार्थी उक्त रास्ते का उसके पूर्वजों के समय से उनके बाद प्रार्थी द्वारा उपयोग–उपभोग करने से सूखाधिकार के रूप में करते आ रहे है।

यह कि वाद कारण दिनांक 27.09.2025 को पैदा होकर अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा उक्त रास्ते को अवरोध बन्द करने पर आमादा हो रहे है तथा उक्त रास्ता पर नवनिर्माण कार्य करने हेतु मौके पर पत्थर डलवाकर मकान का नक्शा बनाते हुए नीवे की खुदाई करने पर आमादा हो रही है तथा मेरे द्वारा मना करने पर उल्टा गाली गलौच करती हुए मरने मारने पर आमादा हो रही है तथा बार–बार मुझे धमकियां देती हुए कहती है कि उक्त आने जाने वाले रास्ते पर मैं कब्जा कर मकान का निर्माण कार्य करूंगी तुम हमारा कोई कुछ नही बिगाड़ सकता है जिससे निरन्तर वाद कारण उत्पन्न होकर नियत अवधि में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि अप्रार्थीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि उक्त रास्ते पर किसी भी प्रकार कोई नवनिर्माण कार्य नही करे न ही उक्त रास्ते पर नीवें की खुदाई ही करे तथा मौके पर किसी भी प्रकार नवनिर्माण कार्य नही करे न ही अन्य से करावे। उक्त रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार से रद्धोबदल ही करे, अपने रिश्तेदार, नौकर, एजेन्ट, मजदूरों के द्वारा उक्त भूमि पर कार्य नही करावे न ही अन्य से करावे अगर अप्रार्थीया संख्या 01 के द्वारा ताकत के बल पर उक्त रास्ते की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर नवनिर्माण कार्य करवा भी लेती है तो जरिये आदेशात्मक आज्ञाप्ति से अप्रार्थीया संख्या 01 का निर्माण कार्य को ध्वस्त करवाते हुए रास्ते की स्थिति यथावत रखी जावें। यह कि यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि अप्रार्थीया संख्य 01 ताकत के बल पर उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर लेगी तथा उक्त भूमि जिससे विवाद बढ़ेगा तथा प्रार्थी अपने हकों से महरूम हो जायेगा जिसकी पूर्ति अर्थ से संभव नही होगी। यह कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि पर आने जाने वाले रास्ते पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर उक्त रास्ता का उपयोग–उपभोग निरन्तर करते एवं कराते चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीया संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि व प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता के आराजी नम्बर 12082 में से होकर अपनी उक्त भूमि पर आना जाना रहा तथा काफी पुराना एवं बाप दादाओं के समय रास्ता 15 फीट भूमि पर किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नही करे कब्जा करने का प्रयास नही करे व किसी भी प्रकार से उक्त रास्ते में नवनिर्माण कार्य नही करें न ही अपने अधीनस्थ नौकर, एजेन्ट, मजदूरों से ही कार्य करावें न ही अन्य से करावे दौराने वाद यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर प्रार्थी को बेदखल कर रास्ता बंद कर देती है तो प्रार्थी को आदेशात्मक आज्ञाप्ति से पुनः कब्जा दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि को यथावत रखी जावें।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को आगामी सुनवाई दिनांक तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया एवं अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 15.01.2026 को अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता द्वारा वकालतनामा एवं मूल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि होना स्वीकार नही है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमि वर्तमान में अस्तित्व में ही नही है तो फिर प्रार्थी कैसे रास्ता लेकर आया है सम्पूर्ण कथन गलत है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कथन में आराजी 12081 से 12082 के लगती हुई होना स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित कथन अस्वीकार है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 में वर्णित कथन अस्वीकार है प्रार्थी को उक्त भूमि कुछ ही समय पूर्व दान में मिली है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 में वर्णित कथन अस्वीकार है अप्रार्थीया का उक्त भूमि में हिस्सा 2400 वर्ग फीट का ही है अतः इसमें से रास्ता दिया जाना उचित नही है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 में वर्णित कथन अस्वीकार है मौके पर ना ही कोई रास्ता रहा है तथा सामलाती भूमि मे से अकेले अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित नही है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 से 12 अस्वीकार है।

साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2016 को वादग्रस्त आराजी में उक्त हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीदा गया तथा उसके द्वारा चारो तरफ बाउन्ड्री भी बना दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब के साथ जमाबंदी की नकल, वर्तमान फोटो तथा पंजीयन के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

03. अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19.02.2026 को मुकर्रर की गई।

04. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। **चूंकि अप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 12082, किसी रिकॉर्डेड रास्ते पर स्थित नही है अतः इसमें प्रार्थी के इस तर्क का खण्डन होता है कि खसरा संख्या 12082 से होकर कदमी रास्ता रहा है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का नही बनता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का पक्ष का नही होने** से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के नही है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ना उचित प्रतीत नही होता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली सल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 19/2/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भीम राजसमन्द

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner